न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/91/2019

अपीलार्थी — बनाम — **प्रत्यर्थी**

श्री योगेन्द्र मेठी पुत्र श्री घनश्याम मेठी,
निवासी—पुलिस थाने के सामने, गोविन्दगढ
जिला—अलवर (राज.) —301604

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि 03.10.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 31.10.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र दिनांकः 02.09.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर श्रीमती निशा सोलंकी के द्वारा स्वयं के खिलाफ की गई शिकायत के संबंध में विविध दस्तावेजात् की प्रति, सूचना दिलाने बाबत 09 बिन्दुओं पर सूचना की वांछा की गई थी।
5. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के पत्रांकः आर.टी.आई./जवाब/2019/5677 दिनांकः 16.09.19 द्वारा प्रेषित सूचना के विरूद्ध प्रार्थना—पत्र दिनांकः 27.09.19 के माध्यम से इस न्यायालय को उक्त अधिनियम, 2005 अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री दौलतराम यादव, कनिष्ठ सहायक दिनांकः 10.10.2019 को पत्र संख्याः अपील/आर.टी.आई./2019/5938—39 दिनांकः 09.10.2019 के माध्यम से प्रस्तुत जवाब नोटिस के साथ उपस्थित हुए जिसे अभिलेख पर लिया गया। अपीलार्थी पत्र सं. 831—32 दिनांकः 03.10.19 के माध्यम से प्रेषित नोटिस व पत्र संख्या 865 दिनांकः 23.10.2019 के माध्यम से **पंजीकृत—पत्र** के मार्फत प्रेषित नोटिस के बावजूद भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए और ना ही प्रथम अपील के बिन्दु सं. 11 के समर्थन में अपील बहस हेतु अन्य दस्तावेजात् स्वयं या डाक के माध्यम से ही प्रस्तुत किए।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 02.09.19 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः आर.टी.आई./जवाब/2019/5677 दिनांकः 16.09.19 के माध्यम से आवेदन के सभी 01 लगायत 09 बिन्दुओं पर रिकॉर्ड/संधारित अभिलेख अनुसार विनिश्चिय कर सूचित किया जा चुका है।

9. अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 02.09.19 व प्रथम अपील दिनांकः 27.09.19 में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत दिनांकः 29.08.19 का उचित समाधान करने की अपेक्षा लोक सूचना अधिकारी/प्रत्यर्थी कार्यालय से की गई है जिस हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 उपयुक्त मंच नहीं है। केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपील प्रकरण पी.ए. परमानाथम् वि. भारत संचार निगम लिमिटेड, प्र.स. 1224/IC(A)/2007 Dated: 10-09-2007 में निर्णय पारित कर माना है कि ''नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, परन्तु यह अधिकार उसी रूप में प्रयुक्त किये जाने योग्य है, जैसा कि अधिनियम में उपबंध किया गया है। **व्यथा और समाधान के लिए सूचना का अधिकार प्रयुक्त किये जाने योग्य नहीं है।** इस हेतु प्रत्येक विभाग में सक्षम प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है और इस हेतु **विधिवत् फोरम का गठन** किया गया है। उसे ही उपचार दिये जाने की शक्तियाँ एवं अधिकारिता दी गई है। **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केवल विशिष्ट प्रयोजन के लिए है और वह सूचना तक सीमित है।''**

10. उक्त आलोक में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 02.09.19 पर प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः 5677 दिनांकः 16.09.19 के माध्यम से किया गया विनिश्चिय उचित है।

11. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निर्बल है। प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अपर जिला कलक्टर अलवर (राज०)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)